संख्या 1106/उन्तीस(2)08–2(145पे0)/2007

प्रेषक,

एम0एच0खान
सचिव
उत्तराखण्ड शासन ।,

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
देहरादून।

पेयजल अनुभाग देहरादून दिनांक 24 जून, 2008

विषयः– नगरीय जलोत्सारण योजना के अन्तर्गत श्रीनगर जलोत्सारण हेतु प्रशासकीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 1003/अप्रैजल–पौड़ी/दिनांक 09.04.07 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद पौड़ी के अन्तर्गत श्रीनगर जलोत्सारण योजना अनु0लागत रू0 308.86 लाख के पुनरीक्षित प्राक्कलन पर टीएसी वित्त के परीक्षणोपरान्त ऑकलित की गई धनराशि के सापेक्ष भारत सरकार से प्राप्त वित्तीय सहायता रू0 160.86 लाख को समायोजित करते हुए शेष लागत रू0 188.89 लाख (रू0 एक करोड़ अट्ठासी लाख नवासी हजार मात्र) के प्राक्कलन की श्री राज्यपाल महोदय प्रशासकीय एंव वित्तीय स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते है।

2– व्यय की स्वीकृति के समय भारत सरकार के द्वारा अवमुक्त धनराशि पर बैंक मे रखे जाने पर अर्जित कुल ब्याज का विवरण देकर व्यय की धनराशि को उक्त धनराशि से घटाकर ही अवशेष धनराशि का प्रस्ताव अन्य सूचनायें उपलब्ध कराने के साथ किया जायेगा।

3– आगणन में उल्लिखित दरें केवल आगणन गठित के लिए ही अनुमन्य है, कार्य कराने से पूर्व दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/ अनुमोदित दरों को तथा जो दरें शिडयूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई है की स्वीकृति नियमानुसार विश्लेशण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन करना आवश्यक होगा। तदोपरान्त ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी।

4– कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी बिना प्राविधिक स्वीकृति के किसी भी दशा में व्यय अनुमन्य न होगा।

5– कार्य स्वीकृत राशि तक ही सीमित रखे। अधिक्य किसी भी दशा में न किया जाय। अधिक्य के लिए निर्माण इकाई स्वयं उत्तरदाई होगा।

6– कार्यों तथा सामग्री क्रय करने हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्त नियमावली–2008 का पालन कडाई से किया जाय।

7– कार्य की गुणवत्ता एव समयबद्धता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें। किसी भी दशा में योजना के पुनरीक्षित प्राक्कलन मान्य नहीं होगें।

8– कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।

क्रमश..2.

9– कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एंव भू–गर्भवेता से कार्यस्थल की भलीभॉति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाय तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराये जाये।

10– निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला में अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

11– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV–219 (2006), दिनांक 30.05.06 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

12– यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय सं0–518/XXVII(2)/2008 दिनांक 18 जून 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(एम0एच0खान)
सचिव

पृ0सं0 1106(1)/उन्तीस(2)/08–2(145पे0)/2007 तददिनांक

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून ।
2. आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
3. जिलाधिकारी, देहरादून।
4. कोषाधिकारी, देहरादून।
5. परियोजना प्रबन्धक, गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उत्तराखण्ड पेयल निगम श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल।
6. वित्त अनुभाग–2/नियोजन /राज्य योजना आयोग/बजट सेल।
7. निजी सचिव, मा0 पेयजल मंत्री को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
8. निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून।
9. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. मीडिया सेन्टर सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(टीकम सिंह पंवार)
संयुक्त सचिव